

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर-खीरी

परिवाद सं०-229 / 2025

दिनेश बनाम अनूप

CNR No UPLP10001709-2025

29.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादी की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली जॉच के स्तर पर नियत है। पत्रावली पर परिवादी की तरफ से अपना बयन अं०धारा-223 बी०एन०एस०एस० अंकित नहीं कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है, न ही उसके द्वारा वाद की पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा-226 बी०एन०एस०एस० एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)

यू०पी०1964

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।

29.05.2026